सत्यमेव जयते

# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## एकादश सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{03 फाल्गुन, 1945 (श०)}}{\text{22 फरवरी, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 147

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | .. | .. | .. | 18 |
| (2) | नगर विकास एवं आवास विभाग | .. | .. | .. | 53 |
| (3) | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | .. | .. | .. | 38 |
| (4) | कृषि विभाग | .. | .. | .. | 14 |
| (5) | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | .. | .. | .. | 13 |
| (6) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .. | .. | .. | 08 |
| (7) | सहकारिता विभाग | .. | .. | .. | 03 |
| | | | | कुल योग -- | 147 |

विषमता दूर करना

*596. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा शहरी क्षेत्र के वार्डों में जन-वितरण प्रणाली दुकानों का नया लाइसेंस, 2021 में दिया गया तथा उन्हें टेनिंग के तौर पर काफी कम यूनिट का आवंटन एवं कम कार्ड दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कम यूनिट एवं कम कार्डों की संख्या होने से नये डीलर को अबतक कम अनाज उठाव एवं कम वितरण करना पड़ रहा है जिससे इनकी मार्जिन मनी प्रतिमाह एक से दो हजार के बीच ही मिलता है जबकि पुराने डीलर के पास काफी अधिक यूनिट एवं काफी अधिक लाभुक का कार्ड दिया गया है जिससे इनकी मार्जिन मनी काफी अधिक मिलती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये एवं पुराने डीलर के मार्जिन मनी की विषमता को दूर करते हुये प्रत्येक वार्डों के दुकानदारों के बीच कार्डों की संख्या समान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

दखल-कब्जा करना

*597. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अभियान बसेरा-2 के तहत पूर्णियाँ जिला में 2036 ऐसे लाभुक चिह्नित किये गये हैं, जिनके पास रहने के लिये जमीन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित लाभुकों में से 244 लाभुकों को जमीन दी जा चुकी है, परन्तु जमीन पर दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियान बसेरा-2 के तहत पूर्णियाँ जिला के भूमिहीनों का सर्वे पुन: करते हुये शेष बचे भूमिहीन को जमीन देकर सभी भूमिहीन को जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

प्रक्रिया खत्म करना

*598. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यक्रम भारत पशुधन ऐप के तहत राज्य में बकरियों को बीमारी से बचाने हेतु टीका लगाने के लिये बकरी पालकों से ओ0टी0पी0 लेकर फोटो अपलोड एवं बकरी के कान में टैग लगाने के पश्चात् ही टीका लगाने की अनिवार्यता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिकतर बकरी पालकों के पास मोबाइल का अभाव है एवं जिनके पास है भी उनको यह प्रक्रिया करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रक्रिया को खत्म करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करना

*599. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नगर परिषद् क्षेत्र के विकास के लिये बिहार विधान सभा के द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसित राशि से टाईड राशि के रूप में 16 प्रतिशत राशि सदस्य बिहार विधान सभा को नगर परिषद् के बैठक में विचार प्रस्तुत कर स्वीकृति उपरान्त व्यय किया जाना है, जिसका कार्यान्वयन जहानाबाद जिला मुख्यालय नगर परिषद् द्वारा किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त राशि का व्यय नियमानुसार कराने तथा इसके लिये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मोटेशन कराना

*600. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ शहरी क्षेत्र में जमीन का लगान निर्धारण अक्टूबर, 2023 से नहीं होने के कारण मोटेशन कार्य बंद है तथा लगान रसीद नहीं कट रहा है, जिसके कारण शहरवासी को

काफी कठिनाई होती है तथा शहर के बी0पी0एल0 परिवार एवं गरीब सरकारी कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ शहरी क्षेत्र में जमीन का शीघ्र लगान निर्धारण तथा मोटेशन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भुगतान करना

*601. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 के चौड़ीकरण हेतु मौजा-कटार, थाना संख्या 103 अन्तर्गत, खाता संख्या 21, 22, खेसरा संख्या 2834, 2836, रकबा 65 डिसमिल अर्जित भूमि का मुआवजे का भुगतान कृषि किस्म भूमि के दर से किया गया है, जबकि भूमि व्यावसायिक उपयोग में थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन स्थल सर्वेक्षणकर्ता द्वारा खेसरा पंजी में उक्त भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है जबकि अंचल अधिकारी, डुमराँव के पत्रांक 1859, दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना को प्रशासन द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर हटा दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान व्यावसायिक भूमि के दर से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिक्रमण मुक्त कराना

*602. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, बेला की भूमि के कुछ भाग को अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा विभाग को इसकी जानकारी देने के बाद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिक्रमण मुक्त करना

*603. श्री रित-लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट अंचल के ग्राम-बलौर में बागमती नदी से सिंचाई हेतु स्लूईस गेट विगत 15 वर्षों से बंद रहने के कारण सिंचाई कार्य बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंचाई बंद होने से नदी के तरफ कुछ लोगों द्वारा जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है तथा अतिक्रमित जगह को खाली करने हेतु समाहर्ता, मुजफ्फरपुर ने अपने कार्यालय ज्ञापांक 547/भू0सु0मु0, दिनांक 9 फरवरी, 2019 एवं पत्रांक 823, दिनांक 24 फरवरी, 2020 के द्वारा कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया गया था, परन्तु अबतक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है जिस कारण स्लूईस गेट की मरम्मत नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

जल-जमाव से मुक्त करना

*604. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के मौना चौक, सब्जी मंडी, डाकबंगला चौक सहित अन्य क्षेत्र में बरसात होने पर जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजनों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में जल-जमाव से मुक्ति के लिये कौन-सी व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरित करना

*605. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10 एवं 40 का आंशिक भाग कोढ़ा अंचल में पड़ता है, जिसके कारण लोगों को राजस्व से जुड़े कार्य एवं विभिन्न प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु 18 किलो मीटर दूर कोढ़ा अंचल जाना पड़ता है, जबकि कटिहार नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड कटिहार अंचल में अवस्थित है, यदि हाँ, तो सरकार कोढ़ा अंचल अवस्थित कटिहार नगर निगम क्षेत्र के उपर्युक्त वार्डों के माँग को कबतक कटिहार अंचल में स्थानांतरित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

शेड का निर्माण

*606. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव अनुमण्डल के निबंधन कार्यालय में कातिब एवं निबंधन कराने आये लोगों के लिए प्रतीक्षालय या शेड नहीं है, जिससे उन्हें खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार निबंधन कार्यालय, डुमराँव में प्रतीक्षालय या शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

चापाकल लगाना

*607. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''नल-जल योजना कहीं पाइप फटी है तो कहीं टंकी बोरिंग भी खराब'' के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड में गर्मी के दिनों में जलस्रोत काफी नीचे चले जाने के कारण चापाकल भी सूख जाता है तथा नल-जल योजना अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति बाधित रहने की वजह से भी जल का संकट उत्पन्न हो जाता है, वर्ष 2023 में उक्त प्रखंड के गांव में टैंकर से पानी पहुँचाकर लोगों की जान बचायी गयी, यदि हाँ, तो सरकार जहानाबाद जिला के प्रत्येक पंचायत में जलस्रोत के अनुरूप 5-5 चापाकल लगाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

नवनिर्माण कराना

*608. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र में लगभग 800-900 मी0 लम्बी बक्सर मेन रोड से मठिया मोड़ सड़क वाया भूमिहारी फिल्ड, ज्योति चौक से यमुना चौक वाया खलासी मुहल्ला एवं सिन्डीकेट से मठिया पुल वाया परिवहन कार्यालय तक की सड़क जर्जर अवस्था में है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत वर्जित सड़कों का नवनिर्माण कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*609. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर नगर पंचायत में कनीय अभियंता पदस्थापित नहीं रहने के कारण कार्यों का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, अमौर में कनीय अभियंता की पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रियान्वयन करना

*610. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वानिकी विश्वविद्यालय, मुंगेर का उद्‌घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले साल किया गया था जिसके उद्‌घाटन के एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिससे जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विश्वविद्यालय का क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

सड़क एवं पुलिया का निर्माण

*611. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर नगर पंचायत के रोड नं0-106 गुलहसन चौक से होते हुए लालपुर सरोपट्टी काली चौक तक की पथ को मॉडल सड़क बनाने का प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व तैयार हुआ है, लेकिन अबतक उक्त सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंहेश्वर नगर पंचायत के मवेशी हाट रोड (समीप बिहार होटल) से एन0एच0-106 तक सड़क एवं पुलिया नहीं है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़कों एवं पुलिया का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

वेंडिंग जोन का निर्माण

*612. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के नरकटियागंज नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत फल एवं सब्जी बिक्रेता के लिए वेंडिंग जोन नहीं रहने के कारण बिक्रेता द्वारा सड़क पर अस्थाई बाजार लगाने के कारण शहर में प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है, जबकि उक्त नगर परिषद् के वार्ड संख्या 16 में शिवगंज चौक से रेलवे हाता के बीच में सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सभी जमीन पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

दखल-कब्जा दिलाना

*613. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत डंडारी अंचल के बाक मौले के खाता संख्या 81, 69, खेसरा 275, 272 में भूमिहीन परिवारों को बास हेतु बासगीत का पर्चा सरकार की ओर से दिया गया था, मगर कई वर्षों के बाद भी भूमिहीनों का उक्त जमीन पर दखल-कब्जा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमिहीनों को पर्चा प्राप्त जमीन पर दखल/कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*614. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत पूरे शहर में जल-जमाव से मुक्त करने के लिये ड्रेनेज पार्ट-2 के तहत नाला का निर्माण के विभाग द्वारा डी०पी०आर० भी बन चुका है, परंतु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार सासाराम नगर निगम अन्तर्गत ड्रेनेज पार्ट-2 के तहत नाला का निर्माण कर कबतक जल-जमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कार्रवाई करना

*615. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन सं० 264, दिनांक 25 अप्रील, 2023 द्वारा लखीसराय जिला में परिवहन अभिकर्ता के चयन हेतु निविदा निकाली गयी थी और उक्त विज्ञापन में निविदादाता को अपने नाम से जमीन होना अनिवार्य था, जबकि निविदा में अंतिम रूप से चयनित संवेदक के पास निविदा अवधि में कोई जमीन निविदाकर्ता के नाम से नहीं था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निविदा में चार व्यक्तियों ने भाग लिया था एवं निविदा में भाग लेने वाले व्यक्तियों जिसका निविदा का दर कम था, उसका चयन न कर अधिक दर वाले को चयनित किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन की पुनः जाँच करते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

शौचालय का निर्माण

*616. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, नरपतगंज बाजार होकर NH-57 गुजरने से बाजार दो भागों में बंट गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत, नरपतगंज में NH-57 के दोनों ओर सुलभ शौचालय नहीं होने के कारण आमजनों खासकर महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर पंचायत, नरपतगंज में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

योजना पूर्ण करना

*617. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड आमस के ग्राम पंचायत-सावकला के वार्ड 10 एवं 11 में अधिकांशतः घरों तक नल का जल नहीं पहुँचता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त वार्डों में नल से जल पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*618. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के देवहरा पंचायत के ग्राम-देवहरा में संचालित पशु चिकित्सालय में कोई डॉक्टर नियमित रूप से नहीं बैठते हैं और ना ही चिकित्सालय का सरकारी भवन है तथा दवाइयों का वितरण मनमाने ढंग से किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये देवहरा में सरकारी पशु चिकित्सालय भवन बनाने तथा चिकित्सालय में डॉक्टर पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भूमि अधिग्रहण करना

"क" *619. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत अंचल जितवारपुर एवं अंचल ताजपुर के अधीन राजस्व ग्राम आधारपुर (वार्ड सं०11) मौजा बाधी (वार्ड सं० 4) संजय दास के टोला में जानेवाली सड़क मौजानीरपुर लक्ष्मण मांजन (वार्ड नं०1) सहित विभिन्न बसावटों को जोड़ने वाली संपर्क-सह-पहुँच पथ नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार ऊपर वर्णित बसावटों में जाने के लिये संपर्क-सह-पहुँच पथ निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पदस्थापन कराना

*620. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बनमनखी प्रखंड में प्रथमवर्णीय पशु चिकित्सालय है, जिसका भवन जर्जर होने तथा उक्त पशु चिकित्सालय में स्थायी पशु चिकित्सक नहीं रहने के कारण पशुपालकों को अपने पशु की चिकित्सा कराने में कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त चिकित्सालय का जर्जर भवन का जीर्णोद्धार तथा स्थायी पशु चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बंदोबस्ती पर्चा निर्गत करना

*621. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पचीरा, वार्ड नं०10, मौजा कजरा थाना नं० 60, खाता नं० 100, खेसरा नं० 298, 313, 535, 301 रकबा 8.58 एकड़ जमीन पर रामदेव ऋषिदेव, पिता-वासो ऋषिदेव, मो०दुखनी देवी, पति स्व० सुरेन ऋषिदेव सहित 74 महादलित परिवार विगत 50 वर्षों से अधिक समय से घर बनाकर रह रहे हैं, किन्तु अबतक उनलोगों को उक्त जमीन का बन्दोबस्ती परवाना/पर्चा निर्गत नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार वहां बसे महादलित परिवारों को जमीन का बन्दोबस्ती परवाना/पर्चा निर्गत करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— "क"- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित ।

जमीन का पर्चा देना

*622. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया के जनौली, पिपरा, बरवत गाँवों में गैर-मजरुआ जमीन पर भूमिहीन परिवार पुस्तैनी तौर पर आवासित हैं, परन्तु जमीन का पर्चा नहीं दिये जाने के कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों में आवासित भूमिहीन परिवार को गैर-मजरुआ जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भूमि हस्तांतरण कराना

*623. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चंपारण जिला के बगहा नगर परिषद में बस स्टैंड निर्माण हेतु जिला समाहर्ता, बेतिया ने अपने ज्ञापांक 16 प्र०, दिनांक 21 जनवरी, 2022 द्वारा भूमि हस्तांतरण अभिलेख की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव आयुक्त के सचिव तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भेजा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 13 माह बीत जाने के बाद भूमि हस्तांतरित त्रुटि/परिमार्जन कार्य समाहर्ता, प० चम्पारण/आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा अभीतक क्लीयर नहीं किया जा सका है, जिस कारण बगहा नगर परिषद् द्वारा अभीतक बस स्टैंड का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर नगर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रकाश की व्यवस्था कराना

*624. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत हसुआ नगर परिषद् क्षेत्र के ग्राम-उड़सा के समीप हसुआ-नवादा पथ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्राय: सड़क दुर्घटना होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर सड़क के मोड़ से टी०एस० कॉलेज तक कबतक प्रकाश की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*625. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान नगर परिषद् के श्री मनीष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, श्री रंजित कुमार, सहायक कार्यपालक सहित अन्य के द्वारा आउट सोर्सिंग एजेंसीज स्पैरो टेक प्राईवेट लिमिटेड से नगर में कर उगाही का कार्य ले रहे हैं जबकि नगर परिषद्, सीवान द्वारा 5 माह पूर्व ही एकरारनामा रद्द कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पदाधिकारियों द्वारा एकरारनामा रद्द के बाद उक्त एजेंसी से कार्य लेने पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*626. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर में बस स्टैंड के निर्माण के लिये जमीन वर्ष 2023 में ही कर्णांकित हो चुकी है परंतु अभीतक बस स्टैंड का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कर्णांकित स्थल पर बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अतिक्रमण मुक्त कराना

*627. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर के पीरपैंती अंचलान्तर्गत बारा पंचायत के नन्हीं बाई मध्य विद्यालय का मुख्य रास्ता अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाने में महज 100 मीटर की दूरी के बदले दो किलो मीटर घूमकर विद्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार विद्यालय जाने की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

मुक्त कराना

*628. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड पंचायत मेहदौली, ग्राम-भडीहा, वार्ड नं०-5 में अनुसूचित जाति के खाता नं० 68, खेसरा नं० 532 की जमीन को गलत तरीके से रजिस्टर-2 में ओवर राईट कर असामाजिक लोगों द्वारा दखल-कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त जमीन को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्यालय स्थानांतरण

*629. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड का सब-रजिस्ट्री कार्यालय तेघड़ा अनुमंडल में पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 30 कि०मी० है, जबकि वीरपुर प्रखंड का सबसे नजदीकी अनुमंडल बेगूसराय है, जिसकी दूरी लगभग 10 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ज्यादा दूरी होने के कारण वीरपुर प्रखंड के ग्रामीणों को योजनाओं से संबंधित लाभ, जमीन से संबंधित कामकाज में काफी असुविधा होती है साथ ही आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वीरपुर प्रखंड का सब-रजिस्ट्री कार्यालय बेगूसराय अनुमंडल में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि को वापस करना

*630. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के जमीन की राजस्व रसीद काटने का ऑफलाइन व्यवस्था के अतिरिक्त ऑनलाइन व्यवस्था करने का निर्णय वर्ष 2016 में लिया गया था, परंतु वर्ष 2023 में ऑफलाइन व्यवस्था बंद कर दी गयी तथा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक ऑफलाइन माध्यम से कटाई गई रसीद ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ाई गयी जिससे ऑनलाइन पोर्टल पर बकाया दिखाकर दुबारा राशि वसूला जा रहा है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक ऑफलाइन से काटी गई रसीद को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने व दुबारा वसूली की गई राशि को कबतक वापस करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कार्रवाई करना

*631. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल नौतन के खाता संख्या 33 सिकमी बटाई की भूमि है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खाता संख्या 33 में दाखिल-खारिज वाद संख्या 2905/20-21 एवं 2093/2019-20 को अस्वीकृत कर दिया गया है जबकि उसी खाता संख्या 33 के वाद संख्या 4665/19-20 एवं 823/2023-24 को स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि दोनों के भूमि का किस्म एक है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त मामले को संज्ञान में आने पर जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ने ज्ञापांक 3345 एवं दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 से एक सप्ताह में तथ्यपरक प्रतिवेदन की माँग अंचलाधिकारी, नौतन से की है, जिसपर जनवरी, 2024 तक प्रतिवेदन अप्राप्त है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

रास्ता बनाना

*632. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत राजेन्द्र पथ में मिष्ठान भंडार, फतेहपुर बाइपास से तरवारा मोड़ तक लगभग 1.5 किलो मीटर डिवाइडर का निर्माण कराया गया है, जिसके अगल-बगल कई पेट्रोल पम्प, बैंक सहित महत्वपूर्ण निजी अस्पताल अवस्थित है, जिसके लिये एक भी यूटर्न नहीं बनायी गई है, जिससे आमजनों को यातायात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित डिवाइडर में 2 से 3 जगहों पर कबतक यूटर्न रास्ता बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

नदियों की सफाई कराना

*633. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला मुख्यालय, बेतिया से सटकर चन्द्रावत नदी एवं कोहड़ा नदी बहती है, जो अतिक्रमण का शिकार हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों नदियों की सफाई करने का आदेश जिला पदाधिकारी, बेतिया ने अपने ज्ञापांक 3331, दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 से नगर निगम, बेतिया को दिया है, उसके बाद भी जनवरी, 2024 तक उसकी सफाई नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों नदियों की सफाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*634. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के दखिम गाँव पंचायत जो अब नगर पंचायत में स्थित है, सिंचाई हेतु मुख्य पईन उसरी टाल से निकलती है जो वजीरगंज बाजार होते हुये पूरा ग्राम तक जाती है, वजीरगंज बाजार से लगभग दो किलो मीटर का क्षेत्र अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पईन की सफाई हेतु परिवाद दायर होने के उपरान्त लघु सिंचाई विभाग एवं मगध आयुक्त के द्वारा वजीरगंज अंचलाधिकार को कई बार अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्र दिया गया, लेकिन अभीतक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पईन को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

नाला निर्माण कराना

*635. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के बड़े भू-भाग को जल-जमाव के मुक्त करने हेतु दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के दीनार से टिनही पुल तक 24 करोड़ की लागत से नाला निर्माण का कार्य पिछले वर्ष सम्पन्न हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इंडस्ट्रीयल औद्योगिक क्षेत्र के आगे से टिनही पुल के अंतिम बिन्दु तक नाला निर्माण नहीं होने से आने वाले बरसात में उक्त भू-भाग में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टिनही पुल के अंतिम बिन्दु तक नाला निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

व्यवस्था करना

*636. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी में नाप-तौल निरीक्षक का कार्यालय स्थापित है, परन्तु उक्त कार्यालय सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में संचालित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नाप-तौल निरीक्षक के नियत स्थान पर नहीं बैठने की वजह से पुपरी अनुमंडल का कार्य प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुपरी अनुमंडल में ही निरीक्षक को बैठाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

सुविधा उपलब्ध कराना

*637. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग के ऑफिशियल बेवसाईट https://epds.bihar.gov.in पर केवल नये राशन कार्ड का आवेदन लिया जाता है, परंतु नये सदस्यों का नाम जोड़ने एवं हटाने के लिये लोगों को अनुमंडल कार्यालय जाना पड़ता है जिसके कारण आमजन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विभाग के ऑफिशियल बेवसाईट https://epds.bihar.gov.in पर नये सदस्यों का नाम जोड़ने एवं हटाने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

राशि का वितरण

*638. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, समस्तीपुर द्वारा विगत 15 वर्षों में मूल्यांतर वृद्धि को दुग्ध उत्पादक किसानों की बीच वितरण नहीं किया गया है, जबकि दुग्ध उत्पादक संघ के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 तक दो करोड़ रुपये का फंड जमा है, यदि हाँ, तो सरकार मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, समस्तीपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों के बीच मूल्यांतर राशि का वितरण शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय भवन का निर्माण

*639. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली नगर पंचायत का अपना कार्यालय भवन नहीं होने के कारण कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अलौली नगर पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

जल-उपचार संयंत्र स्थापित करना

*640. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला मुख्यालय नगर परिषद् अन्तर्गत स्थित गंगा नदी का अत्यधिक धार्मिक महत्व है, जहाँ देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिये आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बक्सर शहर में स्थित घरों के नाला का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है, जिससे बक्सर शहर एवं नदी की पवित्रता, पर्यावरण, जलीय जीवन और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यावरण के समग्र सुधार और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये बक्सर शहर में सीवरेज जल उपचार संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

जलापूर्ति शुरू करना

*641. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के रौशनपुर पंचायत अन्तर्गत ग्राम-दौलतपुर में पानी टंकी स्थापित नहीं रहने के कारण जलापूर्ति बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार दौलतपुर में पानी टंकी का कबतक निर्माण कराकर जलापूर्ति शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

चिकित्सालय की स्थापना

*642. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड की कमला बलान नदी के पश्चिम 10 ग्राम पंचायत स्थित है जहाँ पशुपालकों की बड़ी आबादी निवास करती है, परन्तु पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशु अस्पताल, महिनाथपुर में जाना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार इस क्षेत्र के काको पंचायत के झौआ में पशु चिकित्सालय की कबतक स्थापना करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

बस स्टैंड का निर्माण

*643. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत चेनारी बाजार में बस स्टैंड नहीं रहने के कारण वाहनों का पड़ाव यत्र-तत्र रहने से लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चेनारी नगर पंचायत बाजार में बस स्टैंड के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्सिडी देना

*644. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित बिहार प्रदेश के किसानों को ड्रिप इरीगेशन की विधि से कृषि कार्यों में पानी के साथ-साथ खाद की भी बचत होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ड्रिप इरीगेशन विधि से पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद-बूंद करके टपकाने हेतु वाल्व, पाइप, नल तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है, जिसपर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार द्वारा कम कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषि कार्य को उन्नत बनाने हेतु एवं पानी खाद की बचत हेतु ड्रिप इरीगेशन उपकरणों के लिये किसानों को शत-प्रतिशत सब्सिडी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

राशन कार्ड बनवाना

*645. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों खासकर राजनगर, अंधराठाढ़ी, जयनगर, खजौली में 10 से 20 प्रतिशत पात्रता रखने वाले गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिससे अनाज नहीं मिलने के कारण उन्हें कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पात्र गरीबों को राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिक्रमण मुक्त करना

*646. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत स्थित हाट की भूमि अतिक्रमित रहने के कारण वहाँ हाट नहीं लग पाता है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त हाट को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण कराना

*647. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर में नगर निगम, भागलपुर द्वारा तीन पार्क यथा मेदखाना मैदान, टी0एन0बी0 कॉलेजिएट स्कूल एवं हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण कराने का निर्णय तीन वर्ष पूर्व का ही है लेकिन नगर निगम द्वारा अभीतक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त तीनों पार्कों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*648. श्री भारत भूषण मंडल (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत मसौढ़ी प्रखण्ड के वार्ड नं० 15 में गंगाचक मलिकाना पथ (अस्पताल रोड) की स्थिति काफी जर्जर रहने के साथ-साथ हमेशा जल-जमाव रहता है, जिससे आये दिन दुर्घटना घटित होती रहती है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ का मरम्मती जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अनुज्ञप्ति देना

*649. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बारसोई अनुमंडल में 280 जन-वितरण प्रणाली दुकान के विरुद्ध मात्र 180 दुकान कार्यरत है तथा लगभग 100 जन-वितरण प्रणाली की दुकानें रिक्त हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रिक्त दुकानों की कबतक अनुज्ञप्ति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*650. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव (अ०जा०))--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "नगर पंचायत, गड़हनी के सफाई कर्मियों ने हड़ताल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, गड़हनी में एजेंसी द्वारा सफाई कर्मियों को नियमित और तय वेतन नहीं दिया जाता, जिसका विरोध किये जाने पर उन्हें हटा दिये जाने की धमकी दी जाती है साथ ही तय मानक के अनुपात में सफाई कर्मियों की संख्या भी कम रखा गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कबतक दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भूमि समतलीकरण कराना

*651. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड के पशु चिकित्सालय, कटहरा चहारदीवारी विहीन है तथा इसकी भूमि समतल नहीं रहने के कारण पशुओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय के चहारदीवारी का निर्माण के साथ-साथ इसके भूमि के समतलीकरण कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

दाखिल-खारिज कराना

*652. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा अन्तर्गत अंचल कुटुम्बा एवं नवीनगर में दाखिल-खारिज के मामले लंबित रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार सभी लंबित दाखिल-खारिज के मामले को कबतक निबटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*653. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023 अक्टूबर में विदेश किशोर, राजस्व कर्मचारी, फुलवारीशरीफ, पटना का प्रशासनिक दृष्टिकोण से फुलवारीशरीफ अंचल से स्थानान्तरण कर दिया गया था, लेकिन 1 महीना बाद पुनः अंचल कार्यालय, फुलवारीशरीफ, पटना में योगदान कराकर हल्का कर्मचारी का प्रभार दे दिया गया, जिनपर प्रपत्र 'क' भी गठित है परन्तु इनपर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण

*654. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना के पत्रांक 07/विविध मि०जा०प्रयो०/27/2022/1493, पटना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 दरभंगा जिला अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले दरभंगा के वरीय वैज्ञानिक-सह-प्राध्यापक को कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले में 100 किसानों के बैठने की क्षमता वाले प्रशिक्षण कक्ष उपस्कर सहित का निर्माण के लिये भूमि उपलब्धता एवं विस्तृत प्राक्कलन की माँग की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र के आलोक में वरीय वैज्ञानिक सह-प्राध्यापक कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले द्वारा राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अपने पत्रांक 330/kvk/darbhanga द्वारा संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना को भूमि उपलब्धता एवं विस्तृत प्राक्कलन की प्रति प्रेषित किया जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण कक्ष उपस्कर सहित का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बस पड़ाव निर्माण कराना

*655. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर से पूरे उत्तर बिहार सहित राज्य के बाहर बंगाल, झारखण्ड एवं पटना के लिये बसों का परिचालन होता है तथा प्रत्येक दिन लगभग 500 से ऊपर बसों का ठहराव होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हाजीपुर के राम आशीष चौक पर बस पड़ाव की समुचित एवं व्यवस्थित व्यवस्था यथा शौचालय, यात्री शेड एवं सुरक्षा नहीं रहने के कारण यात्रियों एवं क्षेत्र की जनता के साथ-साथ बस चालकों को भी काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक हाजीपुर के राम आशीष चौक पर उच्चस्तरीय बस पड़ाव के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*656. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी नगर परिषद् के तारेगना रेलवे स्टेशन के उत्तर मेन रोड से पश्चिम कुम्हारों होते हुये न्यू मणीचक सूर्य मंदिर की ओर जाने वाली सड़क में पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में सड़क पर काफी पानी लगा रहता है जिसके कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कबतक नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

आवास देना

*657. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद नगर परिषद् क्षेत्राधीन आवासविहीन चिन्हित पात्र लाभुकों को लक्ष्य के अनुरूप आवास स्वीकृत नहीं की जा रही है जिससे पात्र लाभुकों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार सभी आवासविहीन चिन्हित पात्र लाभुकों को कबतक आवास स्वीकृत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

विचार करना

*658. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट के पंचायत क्रमशः उचकागांव, करवतही, जलालपुर, काला मटिहिनिया में नल-जल का पानी बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में नल-जल सुचारू रूप से चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पेयजल उपलब्ध कराना

''ख''-*659. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद् के वार्ड नं०-01, 02, 03 में नागरिकों को नल का जल योजना के अधीन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों के नागरिकों को नल-जल योजना अधीन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कठिनाइयों को दूर करना

*660. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर, मोरवा और शाहपुर पटोरी अंचलों में सरकारी भूमि अभिलेख ऑनलाइन रसीद पर जमाबंदी नम्बर अंकित नहीं रहने के कारण भू-मालिकों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कठिनाइयों को कबतक दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट-- ''ख''- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

जीर्णोद्धार कराना

*661. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत सुन्दरपुर, बाबूचैक वार्ड नं० 04 के सरकारी पोखर विगत 15 वर्षों से जर्जर एवं पोखर का घाट देख-रेख के अभाव में क्षत-विक्षत हो गया है, जबकि उक्त पोखर एवं क्षत-विक्षत पोखर का नये घाट निर्माण हेतु अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7523, दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम, दरभंगा को जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत मॉडल प्राक्कलन के अनुसार तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पोखर एवं नये घाट का प्राक्कलन तैयार कर कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

वासगीत पर्चा निर्गत करना

*662. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के वैसा अंचल अंतर्गत पोखरिया ग्राम निवासी मो० आमीद हुसैन तथा मो० मोकिमउद्दीन का ग्राम-अख्तियारपुर में खाता नं०-11, खेसरा नं०-175, 176 का 11डी० जमीन पर वर्ष 2014 से कब्जा है और उसका लगान भी उद्यतन जमा है ;

(2 क्या यह बात सही है कि अंचलअधिकारी वैसा के कार्यालय से उपरोक्त जमीन का गलत एवं अवैध ढंग से पैसा लेकर दूसरे के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है जिसके कारण वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध तरीके से पैसा लेकर वासगीत पर्चा निर्गत करने की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हुये वासगीत पर्चा को रद्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

पानी सप्लाई करना

''ग''-*663. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188-फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अंचल फुलवारीशरीफ, विधान सभा फुलवारीशरीफ-188 के वार्ड नं० 32 मुहल्ला जगनपुरा (सामुदायिक भवन) के पास एक सम्प हाऊस बना हुआ है जो बंद पड़ा हुआ, जिससे जनता को पानी के लिये भारी परेशानी उठानी पड़ती है, यदि हाँ, तो उक्त सम्प हाऊस को चालू कर पानी सप्लाई शुरू कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

पेयजल का व्यवस्था करना

''घ''-*664. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा नगर पंचायत में स्थित जलमीनार से अभीतक लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत मैरवा के जनता को कबतक पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट-- ''ग''- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

नोट-- ''घ''- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

जीर्णोद्धार करना

*665. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय, नगरपालिका चैक से रामाशीष यादव चौक तक जानेवाली पथ का निर्माण सम-विकास योजना से 18 वर्ष पूर्व किया गया था, जो मरम्मती के अभाव में पूर्णतः जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------

रद्द कराना

*666. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रजौली अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 900, दिनांक 24 मई, 2023 के द्वारा नरहट अंचल के ग्राम-शेखपुरा के प्लॉट नम्बर 800 में स्थित सार्वजनिक कुआँ की भूमि का अवैध बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा की है, परन्तु 8 माह का लम्बा अन्तराल बीत जाने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में अवैध बन्दोबस्ती रद्द नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि का अवैध बन्दोबस्ती कबतक रद्द कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------

कार्रवाई करना

*667. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(3) उप-धारा (2) के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित होने वाली योजना के शिलापट पर उक्त विधान सभा क्षेत्र के सदस्य का नाम अंकित किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम की अवहेलना करते हुये पश्चिमी चम्पारण जिला के रामनगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित किसी भी योजना के शिलापट पर नगर विधायक का नाम अंकित नहीं किया गया है और न ही योजना के शिलापट उद्घाटन में नगर विधायक को आमंत्रित किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामनगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पूर्ण की गई योजना के शिलापट पर नगर विधायक का नाम अंकित कराने तथा नियम की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------

स्ट्रीट लाइट लगवाना

*668. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेरघाटी में सुलभ सम्पर्कता प्रदान करने की दिशा में बाइपास रोड का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क जो बिल्कुल नदी के किनारे अवस्थित है उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं रहने से आमजनों को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------

भुगतान करना

*669. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के महिनाम पंचायत में नल-जल योजना के तहत 2020 में पम्प चालकों की नियुक्ति मानदेय के आधार पर 2,000 प्रतिमाह की दर पर की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सितम्बर, 2022 तक पम्प चालकों का मानदेय का भुगतान किया गया है, लेकिन अक्टूबर, 2022 से कार्यरत पम्प चालकों का मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार महिनाम पंचायत में कार्यरत पम्प चालकों के मानदेय का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

सौंदर्यीकरण कराना

*670. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित हड़ाही, गंगासागर, दिग्धी एवं मिर्जाखाँ तालाबों के सौंदर्यीकरण हेतु 10 करोड़ की राशि 1 साल पूर्व विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी चारों तालाबों की सौंदर्यीकरण का कार्य अभीतक प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित चारों तालाबों का सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

लक्ष्य प्राप्त करना

*671. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में धान की कुल अधिप्राप्ति का लक्ष्य 93773 मेट्रिक टन है, जबकि 31 जनवरी, 2024 तक मात्र 30110 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो पाई है, जो मात्र 32.11 प्रतिशत है, यदि हाँ, तो सरकार निर्धारित धान अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मानदेय बढ़ाना

*672. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 की कंडिका 4(3)(1)(ख) में संविदा कर्मियों का मानदेय सरकार में उपलब्ध समान पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल के बराबर निर्धारित करने तथा प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प की उक्त कंडिका के आलोक में चकबंदी निदेशालय के अन्तर्गत नियोजित विभिन्न कोटि के संविदा कर्मियों का मानदेय दिनांक 31 मार्च, 2021 के बाद पुनरीक्षण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में चकबंदी निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न कोटि के नियोजित संविदा कर्मियों का मानदेय पुनरीक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

सड़क का निर्माण

*673. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम, वार्ड 3 में रूपसपुर, जलालपुर, केला बगान पप्पू राय के घर से विद्या राय के घर होते हुये मंडल राय के घर से शुभम कुमार के घर तक की सड़क कच्ची है, जिसके कारण बरसात के दिनों में स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों को पैदल चलने में भी काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवनिर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल-खारिज कराना

*674. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया अंचल के ग्रामीण क्षेत्र में 70 दशक में शेखौना मठ का सीलिंग से अधिशेष जमीन का पर्चा वितरण 300 से अधिक दलित गरीबों के बीच हुआ था जिसपर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सभी गरीब दलितों के परिवार एवं उनके वारिस का 35 वर्षों से अधिकार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेखौना मठ टोला, बीचला टोला, लईया टोला, पीपरा आदि गाँवों के पर्चेधारियों का गाँव 2022 में बेतिया नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गया है और वहाँ के अंचल अधिकारी पर्चेधारियों के जमीन का दाखिल-खारिज नहीं कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्चेधारियों की जमीन का दाखिल-खारिज उनके वारिसों के नाम करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

कार्रवाई करना

*675. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सम्राट सिटी योजना के तहत 940 करोड़ के लागत से शहर की विकास हेतु वर्ष 2017 में चयनित योजनाओं के निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई है तथा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना के तहत कराये गये सभी निर्माण कार्यों की जाँच कराते हुये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

नियुक्ति करना

*676. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बोखड़ा में पशु चिकित्सालय विगत 20 वर्षों से किराया के मकान में चलता है तथा विगत 10 वर्षों से पशु चिकित्सक का पद रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार प्रखंड बोखड़ा में पशु चिकित्सा भवन बनाने एवं बोखड़ा में पशु चिकित्सक के रिक्त पद पर कबतक पशु चिकित्सक को नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिक्रमण से मुक्त

*677. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय अंचल के गोमटर ग्राम में खाता संख्या 123, खेसरा संख्या 362, रकबा 2 एकड़ 87 डिसमिल जो बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 में परिभाषित सार्वजनिक भूमि है जिसका अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिक्रमण भूमि के अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये अंचल कार्यालय, एकंगरसराय नालन्दा के ज्ञापांक 4539, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 द्वारा अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण वाद संख्या 33/2023-24 द्वारा नोटिस भी दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

सड़क एवं नाले का पुनर्निर्माण

*678. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 3 और वार्ड नम्बर 10 के बीच हॉस्पिटल रोड में नाला का पानी सड़क पर एवं लोगों के घर तक आ जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंहेश्वर नगर पंचायत के मुख्य बाजार रोड नम्बर 106 से भेलवा टोला होते हुये सुखासन जानेवाली मुख्य सड़क तक का पथ जर्जर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में वर्णित नाला तथा खंड (2) में वर्णित सड़क का कबतक पुनर्निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

सुविधा उपलब्ध कराना

*679. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ विधान सभा के सरमेरा प्रखंड के ग्राम-प्रणावाँ में स्थित श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहेब, सदर गाद्दी को राज्य सरकार द्वारा मई, 2018 को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, जिसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष पर बड़े ही धूम-धाम से किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बावजूद मेला आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा न तो कोई विशेष व्यवस्था की जाती है और न ही आर्थिक मदद किया जाता है, जिससे आयोजकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय मेला दर्जा प्राप्त होने पर दी जानेवाली सुविधायें को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण कराना

*680. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंड के सबलपुर चारों एवं दिघवारा प्रखंड के अकिलपुर पंचायत में मवेशी आश्रय स्थल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को प्रतिवर्ष बाढ़ के समय में मवेशियों के रख-रखाव एवं जीवन बचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित दियारा इलाकों में पशु आश्रय स्थल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

औचित्य बतलाना

*681. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसान पशुपालन के माध्यम से दुध उत्पादन कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के दुध उत्पादन करने वाले किसानों को दुध की लागत के अनुरूप कीमत नहीं मिल पाता है, दुग्ध सहकारी समितियों के द्वारा दुग्ध किसानों से 1100 ग्राम दूध लेकर संघ द्वारा 1000 ग्राम की ही गणना की जाती है तथा कीमत भी दुग्ध किसानों को कम मिलता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

--------

सड़क एवं नाला का निर्माण

*682. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद्, रामनगर के वार्ड संख्या 2, अयोध्यानगर, पईन टोला में विवेक उपाध्याय के घर के पीछे से दीपक सिंह के घर होते हुये सुभाष बैठा के घर तक पी0सी0सी0 सड़क-सह-नाला नहीं होने के कारण इस मोहल्ले के सैंकड़ों घरों में जल निकासी की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पी0सी0सी0 सड़क-सह-नाला निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था कराना

*683. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अन्तर्गत श्यामपुर पंचायत के बौद्ध विहार कॉलोनी के 150 घरों में नल-जल कनेक्शन नहीं होने के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "हर घर नल जल" का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजेल हेतु कबतक बोरिंग एवं जलमीनार की स्थापना कर पाइप बिछाकर घरों में कनेक्शन देते हुये पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमीन बंदोबस्ती कराना

*684. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत कटेयां प्रखण्ड के कोटेयां नगर पंचायत के वार्ड सं० 1 ग्राम-सरेया, वार्ड सं० 2, ग्राम-रानीपुर, वार्ड सं० 3 ग्राम-बरवां, वार्ड सं० 4 ग्राम-सोता धरहरा, वार्ड सं० 5, ग्राम-पंचफेरवा, वार्ड सं० 9, ग्राम-कुचायकोट, वार्ड सं०12, ग्राम-बड़हरा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सैकड़ों भूमिहीन परिवार निवास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जाति के लोगों के नाम से जमीन नहीं होने के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं से वंचित होना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त जाति के भूमिहीन परिवारों के नाम से जमीन बंदोबस्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

सड़क मरम्मती करना

*685. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखण्ड अन्तर्गत नटवार बाजार के पास विभाग का लगभग 100 गोदाम बना हुआ है, जहां प्रतिदिन हजारों ट्रक से चावल उतरता एवं चढ़ता है, परन्तु गोदाम के समीप की सड़क जीर्ण-शीर्ण है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ट्रक एवं गोदाम कर्मियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जलापूर्ति शुरू करना

*686. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा प्रखंड के गढ़पुरा हाई स्कूल एवं बी०आर०सी० भवन के निकट स्थित जलमीनार से जल आपूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से पुन: जलापूर्ति शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराना

*687. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग स्थित पीपुल्स कॉपरेटिव कॉलोनी,

ब्लॉक-सीसी के प्लॉट नं० 49 एवं 50 के उत्तर 30 फीट तथा प्लॉट नं 50, 52, 54, 56 के पूरब 40 फीट चौड़ी सड़क है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्लॉटों के उत्तर दिशा की 30 फीट एवं पूरब दिशा की 40 फीट चौड़ी सड़क में से 6-6 फीट चौड़ी सड़क को प्लॉट के आवासितों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमित सड़क के हिस्से को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

चिकित्सक की व्यवस्था

*688. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत कुतलूपुर पंचायत में पशु अस्पताल रहने के बावजूद वहां पशु चिकित्सक पदस्थापित नहीं है, जिसके कारण वहां के पशुपालकों को काफी समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल में पशु चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पशु अस्पताल बनवाना

*689. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड के पंचायत अमहा में पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार अमहा पंचायत के ग्राम-अमहा में प्रथमवर्गीय पशु अस्पताल कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

चापाकल गाड़ना

*690. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अन्तर्गत पुरन्दाह-अंधासुर शिवमंदिर, सोन्था मरकज, कठामठा तकिया शरीफ कोल्हा मस्जिद हमेशा अधिक संख्या में लोगों का आवागमन लगा रहता है परन्तु उक्त स्थल पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने से लोगों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त स्थल पर शुद्ध पेयजल हेतु चापाकल गाड़ने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जलापूर्ति कराना

*691. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के जमालपुर नगर परिषद् में 2011 की जनगणना के आधार पर हर घर नल जल देने का आकलन किया था परन्तु उसके पश्चात् 2023 की गणना के अनुसार बढ़े हुये घर के लिये हर घर नल जल की व्यवस्था नहीं हो पायी है, जिसके लिये बुडको द्वारा बढ़े हुये घरों के लिये । वर्ष पूर्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार बढ़े हुये घरों को जलापूर्ति के लिये भेजे गये प्रस्ताव पर कार्य करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*692. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम पंचायत कुतुलपुर के ग्राम-तरका वार्ड 13 में नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति पूर्णतः बन्द होने के कारण आम-जनता को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बंद नल-जल योजना को चालू कराने एवं दोषी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

दखल-कब्जा दिलाना

*693. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड के ग्राम-मंगुरहा में बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1991 में दलित भूमिहीन चन्द्रदेव राम एवं स्व० सुखदेव राम को क्रमाश: 58 डिसमील एवं 50 डिसमील जमीन का भू-दान के तहत पर्चा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का वर्ष 1991 से लगातार आबतक रसीद पर्चाधारी के नाम से कट रहा है एवं जमीन की मापी भी की गई थी, लेकिन जमीन पर दखल-कब्जा अबतक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पर्चाधारी के परिजनों को जमीन का दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पथ का निर्माण

*694. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बरौली के वार्ड संख्या-09, 11 सहित कई वार्डों में नल-जल का कार्य अबतक अधूरा है, साथ ही शिव मंदिर भड़कुड़याँ से छोटा बढ़ेया जाने वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण पथ साल 2020 की बाढ़ की विभीषिका में पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गयी थी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल बंद है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लंबित नल-जल का कार्य पूर्ण कराने एवं भुड़कुड़याँ शिव-मंदिर से छोटा बढ़ेया जानेवाली पथ का निर्माण कराने विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

व्यवस्था कराना

*695. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत माधोपुर बथानी पंचायत के ग्राम-केशोपुर मंडल टोला में "हर घर नल जल" योजनान्तर्गत घरों में लगे नल कनेक्शन से 200 घरों में पानी नहीं पहुँच पाने के कारण पेयजल की गंभीर समस्या है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल हेतु अतिरिक्त बोरिंग कराने एवं जलमीनार की स्थापना कर पेयजल की समुचित व्यवस्था करांने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कॉलेज खोलना

*696. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम में एक भी कृषि महाविद्यालय कॉलेज नहीं है, जबकि सबसे अधिक धान एवं गेहूँ की खेती उक्त जिले में होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिले के छात्र एवं छात्राओं को कृषि की पढ़ाई करने के लिये उत्तर प्रदेश में बनारस या इलाहाबाद सहित अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोहतास जिले में कृषि महाविद्यालय कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*697. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के एकंगरसराय के माधोपुर अमनार वार्ड नं० 1 नाम से सूर्य मंदिर तालाब में सीढ़ी निर्माण कार्य का शीला पट उक्त स्थान पर लगाया जाना था, परन्तु शीलापट तारापुर मुसहरी में लगाया गया जो वार्ड सं० 1 एवं 2 में पड़ता है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र अंचलाधिकार एकंगरसराय द्वारा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर गड़बड़ी करने वाले अधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

ACP/MACP का लाभ देना

*698. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना सं० 11/आ०नी०-1-03/2023 में राज्य के प्रशासनिक हित में राज्यधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यकर्मियों की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सासाराम (रोहतास) जिला में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ACP एवं MACP का लाभ देने के लिये समाहरणालय, रोहतास के जिला-भू-अर्जन शाखा के पत्रांक 516, दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा भू-अर्जन निदेशक को लाभ देने के बावजूद अभीतक सासाराम (रोहतास) जिला में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ACP एवं MACP का लाभ नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सासाराम (रोहतास) जिला में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ACP एवं MACP का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जल-जमाव से मुक्ति दिलाना

*699. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 में मुरलीचक मुख्य सड़क से मधुबन होते हुये नदी तक सड़क के किनारे का नाला साफ नहीं होने तथा जगह-जगह शाखा सड़क में होम पाइप नहीं लगे होने के कारण जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र की जनता को जल-जमाव की समस्या से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टैग कराना

*700. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले में उसना चावल मिल की संख्या केवल 8 ही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले में कुल पैक्स एवं व्यापार मंडल की संख्या 133 है जो विभिन्न चावल मिलों से टैग है, परन्तु अधिकांश पैक्स उसना चावल मिल से टैग होने के कारण पैक्स को अरवा चावल से संबंधित धान अधिप्राप्ति में समस्या हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पैक्स एवं व्यापार मंडल को अरवा-उसना चावल के समानुपातिक मात्रा में टैग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । बक्सर जिला में उसना चावल हेतु मिलों की कुल संख्या 7 है ।

(2) पैक्सों के उसना/अरवा चावल मिल से टैग होने के कारण धान अधिप्राप्ति में समस्या के संबंध में कोई अधिकारिक सूचना जिलों से प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) कंडिका (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है । शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी ।

--------

मनोनयन करना

*701. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विधान मंडल द्वारा एक वर्ष पूर्व ही दो माननीय सदस्यों को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि सदस्यों का नाम निदिष्ट नहीं किये जाने के कारण अभीतक प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है, जिसके कारण बहुत सारे कार्यों का निष्पादन एवं विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट एवं आय-व्यय का प्रतिवेदन सरकार के पास अनुमोदन संस्तुति के लिये नहीं भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिनिधि सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

सीवर प्लांट का निर्माण

*702. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की स्वीकृति एक वर्ष पूर्व प्राप्त रहने के बावजूद पर्यावरण एवं वन विभाग के पटना स्थित कैम्पा कार्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यारंभ नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कैम्पा से अनुमति प्राप्त कराकर उपर्युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच एवं कार्रवाई करना

*703. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय खाद्यान्न गोदाम से वित्तीय वर्ष 2021-22 से ही जन-वितरण प्रणाली के बिक्रेता अखिलेश्वर कुमार चौधरी, ग्राम-मुन्दीपुर, श्रीमती लालती देवी, निश्चयगंज सहित अन्य लाइसेंसधारी बिक्रेता को प्रत्येक माह के खाद्यान्न उठाव में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कम वजन दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा विगत छः माह पूर्व जिलाधिकारी एवं विभागीय सचिव को किये जाने के बाद भी अबतक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कौन-सी कार्रवाई कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

योजना का लाभ

*704. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, गुणवंती के वार्ड नम्बर 2, बाबा टोला में 500 की आबादी, वार्ड नम्बर 5, सदानंद राय टोला में 500 की आबादी, वार्ड नम्बर 6, बधुवा टोला में 1000 की आबादी, वार्ड नम्बर 8, धमदाहा टोला में 500 की आबादी, वार्ड नम्बर 11, दुर्गापुर महादलित एवं अल्पसंख्यक टोला में 600 की आबादी नल-जल योजना के लाभ से वंचित है तथा इन टोलों में पूर्व में एक पानी टंकी लगाया गया लेकिन उसकी क्षमता कम और दूरी अधिक होने के कारण इन टोलों के सभी घरों तक नल का जल नहीं पहुँचाया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित टोलों में अतिरिक्त पानी टंकी तथा पाइप लाइन पूरा कर सभी घरों के लोगों को नल-जल योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भुगतान करना

*705. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर नगर प्रखंड अन्तर्गत जल-नल योजना से संबंधित ऑपरेटरों (संचालकों) के पारिश्रमिक का भुगतान लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना से जुड़े संचालकों (ऑपरेटरों) को बिना अवकाश लिये सालों भर अपने दायित्व का नियमित निर्वहन करने की अनिवार्यता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नगर प्रखंड में कार्यरत ऑपरेटरों के पारिश्रमिक का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

सड़क चौड़ीकरण करना

*706. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत विजय नगर चौक शंका से जिला अतिथि गृह समाहरणालय बाँका होते हुये बेल अमरपुर मुख्य सड़क मार्ग को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है एवं सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का चौड़ीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

*707. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआँव के ग्राम-बनकट में एवं ग्राम-नरौनी में लगभग 70-80 महादलित परिवार विगत 45-50 सालों से बसे हैं एवं फूस-खपरैल के मकानों में रहने को मजबूर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बसे लोगों में से 11 लोगों का आवास योजना के तहत नाम स्वीकृत है, उक्त लोगों को जमीन का पर्चा निर्गत करने के लिये अंचलाधिकारी, अगिआँव द्वारा पत्रांक 860, दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से उप-समाहर्ता भूमि सुधार, भोजपुर को पत्र भी भेजा गया है लेकिन अभीतक जमीन का पर्चा निर्गत नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड अगिआँव के ग्राम-बनकट में एवं ग्राम-नरौनी में बसे महादलित परिवारों को जमीन का पर्चा निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

--------

जमाबंदी कराना

*708. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के नवादा सदर अंचल में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा एल0ए0 के नम्बर 11@82-83 में पुराना जमाबंदी नम्बर 134, खेसरा नम्बर 490, नया जमाबंदी नम्बर 129, खाता नम्बर 122, खेसरा 791, रकबा 29 डिसमिल जमीन जो राजकुमारी देवी, पति-सीताराम साव के नाम से था, जिसका अधिग्रहण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिग्रहित जमीन का जमाबंदी अभी भी राजकुमारी देवी, पति-सीताराम साव के नाम से कायम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त वर्णित जमीन का जमाबंदी राजकुमारी देवी के नाम से हटाकर जल संसाधन विभाग के नाम से जमाबंदी कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण करना

*709. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के नगर परिषद्, शेखपुरा में भीषण गर्मी में पेयजल की घोर संकट हो जाती है जिसके कारण लोगों को पेयजल के लिये काफी परेशान होना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेखपुरा जिला के नगर परिषद्, शेखपुरा में पेयजल की समस्या के निदान के लिये दो बड़ा जल जलमीनार का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कार्रवाई करना

*710. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सरैया के तत्कालीन अंचलाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर (भूमि सुधार शाखा) के पत्रांक 2026, दिनांक 14 अप्रील, 2023 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को पत्र दिया गया है, लेकिन उक्त पत्र पर आजतक विभाग के द्वारा अंचलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2026, दिनांक 14 अप्रील, 2023 के आलोक में अंचलाधिकारी के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय का निर्माण

*711. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के बक्सर पंचायत के ग्राम-मायापुर में पशु चिकित्सालय नहीं रहने से पाँच पंचायतों पशुपालक पशुओं चिकित्सा लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-मायापुर में कबतक पशु चिकित्सालय बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण कराना

*712. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत पहलेजा घाट स्थित पशु चिकित्सालय केन्द्र के अपना भवन नहीं रहने के कारण पशुपालकों एवं पशु चिकित्सा कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित पशु चिकित्सालय केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

नाला का निर्माण

*713. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर पंचायत, जयनगर के पूरब कमला नदी, पश्चिम रेलवे स्टेशन एवं ट्रैक, उत्तर और दक्षिण दिशा में एन0एच0 अवस्थित है जिसके मध्य में यह नगर पंचायत अवस्थित है जिसके कारण यहाँ जल-जमाव की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत, जयनगर द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना तथा माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग को मास्टर प्लान के तहत 94 करोड़ की लागत से नाला निर्माण की स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया था परंतु आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नगर पंचायत को राशि उपलब्ध कराकर नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

पशु चिकित्सालय का निर्माण

*714. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड में पशु चिकित्सालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण पशुपालकों को पशु की इलाज में कठिनाइयाँ हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार गौड़ाबौराम प्रखंड में कबतक प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नहर की उड़ाही करना

*715. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड के गौड़ा, पकठौल, नोनपुर चैर में जल-जमाव के कारण हजारों एकड़ जमीन की फसलें नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चौरों में स्थित नहर उड़ाही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

जलमीनार का निर्माण

*716. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के नगर पंचायत चेवाड़ा में पेयजल की घोर संकट बनी रहती है जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिये काफी परेशान होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार शेखपुरा जिला के नगर पंचायत, चेवाड़ा में पेयजल की समस्या के निदान के लिये दो बड़ा जलमीनार का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

नक्शा स्वीकृति

*717. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एक वर्ष पूर्व भागलपुर जिला मुख्यालय नगर निकाय क्षेत्र के विस्तार हेतु आस-पास के प्रखण्डों के 262 गाँवों को मिलाकर आयोजना क्षेत्र का गठन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक इन क्षेत्रों में भवन के नक्शा की स्वीकृति प्रदान करने के लिये किसी पदाधिकारी को नामित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के लिये नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकार नामित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

सौन्दर्यीकरण कराना

*718. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सुलतानगंज में स्थित सरकारी बस पड़ाव अतिक्रमित तथा जर्जर स्थिति में रहने के कारण इसका उपयोग नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार श्रावणी मेला एवं यातायात की सरलता के लिये इसे अतिक्रमण मुक्त कराते हुये सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

अनुसंधान केन्द्र बनाना

*719. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड अन्तर्गत तुरकौलिया थाना के नजदीक 25 एकड़ सरकारी कृषि फार्म का जमीन परती पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तुरकौलिया प्रखंड सब्जी उत्पादन में जिला के सभी प्रखंडों के मुकाबले पहले स्थान पर आता है, जहां बीज की उत्पादक केन्द्र नहीं बनाये जाने से किसानों को दूसरे जगहों

से प्रत्येक फसल का बीज मंगाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कृषि फॉर्म के परती जमीन पर बीज उत्पादक एवं अनुसंधान केन्द्र बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

विचार करना

*720. श्री शम्भु नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रह्मपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ब्रह्मपुर बाजार में नाला का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण बाजार में पानी लगा रहता है, जिस कारण आमजनों को आने-जाने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार के बगल से इमेज नदी बहती है, जिसमें बाजार का पानी नहीं गिरता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार में पक्की नाली का निर्माण कराकर बाजार के पानी को इमेज नदी में गिराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भवन का निर्माण

*721. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत सिकन्दरा पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा जनवरी, 2021 में ही प्राप्त हुआ है, परन्तु वहां अबतक सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में कबतक सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

औचित्य बतलाना

*722. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के संकल्प के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जल-जीवन-हरियाली के तहत राज्य के अतिक्रमित पोखर, तालाब, पईन, नहर, कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराने का लक्ष्य था ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड नाजिरपुर हाट एवं नाजिरपुर पीपरपाती स्थित तालाब पोखरा को अतिक्रमण मुक्त कर सौन्दर्यीकरण अबतक नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

-------------

नेटवर्क की समस्या को दूर करना

*723. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा प्रखण्ड के विशनपुर गोनाही, मधेसरा, मरपा, कचोर, कन्हौली, पाप खोपराहा, मुतही एवं बगहा पंचायतों में मोबाईल में सिग्नल संबंधी समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में नेटवर्क सिग्नल संबंधी समस्या को कबतक दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यूरिया उपलब्ध कराना

*724. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र में गेहूं एवं गन्ना की फसल की खेती की शुरुआत में ही यूरिया की भारी किल्लत हो जाती है, जिससे किसानों के समक्ष काफी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों को कबतक ससमय यूरिया उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । रबी, 2023-24 में अक्टूबर से फरवरी (दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक) गोपालगंज जिला में यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता एवं पॉस स्टॉक निम्नवत् है :-

मात्रा मे०ट० में

| आवश्यकता | उपलब्धता | प्रतिशत | पॉस स्टॉक (दिनांक 12 फरवरी, 2024) |
|---|---|---|---|
| 19534 | 17639 | 90 | 6078 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गोपालगंज जिला में रबी, 2023-24 में अक्टूबर से फरवरी (दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक 19534 मे०ट० की आवश्यकता के विरुद्ध 17639 मे०ट० यूरिया उपलब्ध कराया गया है, जो आवश्यकता का 90 प्रतिशत है एवं पॉस स्टॉक 6078 मे०ट० है।

रबी, 2023-24 में अक्टूबर से फरवरी (दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक) कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुचायकोट एवं पंचदेवरी प्रखण्ड में यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता एवं पॉस स्टॉक निम्नवत् है:--

मात्रा मे०ट० में

| प्रखण्ड का नाम | आवश्यकता | उपलब्धता | प्रतिशत | पॉस स्टॉक (दिनांक 12 फरवरी, 2024) |
|---|---|---|---|---|
| कुचायकोट | 2553 | 2386 | 93 | 395 |
| पंचदेवरी | 815 | 762 | 93 | 174 |
| **कुल** | **3368** | **3148** | **93** | **569** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र में रबी, 2023-24 में अक्टूबर से फरवरी (दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक) कुल 3368 मे०ट०की आवश्यकता के विरुद्ध 3148 मे०ट० यूरिया उपलब्ध कराया गया है, जो आवश्यकता का 93 प्रतिशत है एवं पॉस स्टॉक 569 मे०ट० है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रबी, 2023-24 में अक्टूबर से फरवरी (दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक) गोपालगंज जिला एवं कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र में यूरिया की कोई कमी नहीं है।

-------------

नियुक्ति करना

*725. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में माप तौल शुद्धिकरण योजना के अन्तर्गत तौल सेतुओं की जाँच हेतु 5 टन कार्यकारी मानक बाटयुक्त मोबाईल स्टैंडर्ड वेट से सुसज्जित दो वाहन वर्ष 2010 में भारत सरकार से राज्य के माप तौल विभाग को अनुदान के रूप में प्राप्त हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार को उपर्युक्त वाहन के चालक को मानदेय भुगतान हेतु 6 लाख रुपये का आवंटन 2017-18 में ही भारत सरकार से प्राप्त हो जाने के बावजूद आजतक दोनों वाहनों का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक स्टैंडर्ड वेट से सुसज्जित वाहन हेतु चालक की नियुक्ति कर वाहन का परिचालन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच केन्द्र स्थापित करना

*726. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के कृषकों के हित में एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाये रखने हेतु प्रत्येक प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित नहीं रहने के कारण कृषकों से लिये गये मिट्टी का नमूना जाँच हेतु जिला मुख्यालय भेजा जाता है, जहां से ससमय जाँच रिपोर्ट कृषकों को हस्तगत नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार प्रत्येक प्रखंड में जहाँ मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित नहीं है, जाँच केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

मुआवजा देना

*727. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के वन्द्‌वार पंचायत में विगत वर्ष से बंदरों द्वारा कृषकों का फसल बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिससे कृषकों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही किसी प्रकार की मुआवजा (क्षतिपूर्ति अनुदान) नहीं मिलने से किसानों का जीवन-यापन करना कठिन हो गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में बंदरों के द्वारा किये फसल की क्षति की रोकथाम का उपाय करते हुये नियमों के तहत किसानों को मुआवजा (क्षतिपूर्ति अनुदान) देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

डम्पिंग यार्ड बनाना

*728. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यथा नियम की अवहेलना करने वाले किसानों के ऊपर मुकदमा कर उन्हें सरकारी सहायता से वंचित कर दिये जाने का प्रावधान है, जिसके कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों से अपशिष्ट को क्रय करने या प्रत्येक पंचायत में कचरा प्रबंधन जैसे डम्पिंग यार्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

टेम्पो स्टैंड का निर्माण

*729. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत में टेम्पो स्टैण्ड नहीं रहने के कारण यात्रियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां टेम्पो स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पदस्थापन करना

*730. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत केसरिया प्रखंड के केसरिया अंचल में पदस्थापित अंचल अधिकारी के रिटायर हो जाने तथा राजस्व अधिकारी का पदस्थापन नहीं रहने के कारण क्रमशः अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी का प्रभार दूसरे अंचल के सी०ओ० एवं आर०ओ० को दिये जाने के कारण त्वरित गति से राजस्व संबंधी मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया अंचल में अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । विभागीय अधिसूचना सं० 33(3)/रा०, 34(3)/रा एवं 35(3)/रा०, दिनांक 26 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों में अंचल अधिकारी/प्रभारी अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया गया है। उक्त विभागीय अधिसूचना सं० 33(3)/रा०, दिनांक 26 जनवरी, 2024 द्वारा अंचल कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चम्पारण में अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया गया है। राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों (अंचल कार्यालय, केसरिया सहित) में राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थापन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

शवदाह गृह का निर्माण

*731. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखंड के गंडक नदी स्थित डुमरियाघाट पर गोपालगंज, सीवान एवं अन्य जिलों से शव दाह-संस्कार हेतु सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जहां लकड़ी या अन्य प्रकार के कच्ची सामग्री के माध्यम से शव दाह संस्कार किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण से स्थानीय आमजनों एवं किसान के फसलों एवं पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घाट पर कबतक विद्युत् स्वचालित शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

नाला-नालियां बनवाना

*732. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सात निश्चय 02 के तहत Storm Water Drainage का प्रावधान है, यदि हाँ, तो मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगर परिषद् की सभी बड़ी-छोटी नाला एवं नालियों को सात निश्चय-02 के तहत बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

स्लैब का निर्माण

*733. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् क्षेत्र के केसठ राजवाहा डुमरॉव मुख्य नहर से निकलती है जो वी०आई०पी० मुहल्ला तेन्दुनी चौक होते ढीबरा मुहल्ला से आगे की ओर जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तेन्दुनी चौक के आगे ढीबरा मुहल्ला तक कचरे की यह राजवाहा भरा रहता है, जिस कारण बहाव प्रभावित हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस राजवाहा के उपर ढीबरा मुहल्ला से आगे तक स्लैब ढलाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कैमरा लगाना

*734. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत परसा बाजार के परसा दरोगा राय चैक से खजौली मोड़ तक सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं लगाये जाने के कारण प्राय: घटना घटित होने पर अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है, जिसके कारण व्यवसायियों में भय का वातावरण बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर कबतक सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*735. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, हिलसा के द्वारा कुशल सहायक अभियंता कनीय अभियंता को एक प्रखंड का प्रभार एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग करने वाले चण्डी के सहायक अभियंता कनीय अभियंता को एक प्रखंड का प्रभार एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग करने वाले चण्डी के सहायक अभियंता, श्री विवेक कुमार कनीय अभियंता,

सोनी कुमारी को पाँच-पाँच प्रखंडों का प्रभार देने से विभागीय पत्रांक 944, दिनांक 23 अगस्त, 2023 के द्वारा परिवादी की उपस्थिति में जांच एवं विभागीय निदेशों का अनुपालन में उक्त अभियंता विलम्ब कर अवैध अर्जित सम्पत्ति को छिपाने का प्रयास किया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पाँच-पाँच प्रखंड के प्रभार वाले से मुक्त कर कुशल अभियंताओं को प्रभार देते हुये जांच में विलम्ब के लिये दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमीन उपलब्ध कराना

*736. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालक, योगिया के लिये भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन निर्माण कार्य लंबित है तथा पशु चिकित्सालय सरकारी विद्यालय में कमरे में चल रहा है जिस कारण उस क्षेत्र के पशुपालकों को इलाज में काफी असुविधा हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा क्रमशः पत्रांक 1000, दिनांक 21 मार्च, 2023, पत्रांक 2688, दिनांक 29 अगस्त, 2023, पत्रांक 3720, दिनांक 10 नवम्बर, 2023 द्वारा अंचल अधिकारी, लदनियाँ को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा गया परंतु अबतक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त प्रेषित पत्र के आलोक में यथाशीघ्र भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बाजार उपलब्ध कराना

*737. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बाजार समिति भंग होने के कारण किसानों को उत्पादन बेचने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों को उत्पादन बेचने हेतु कबतक बाजार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जल आपूर्ति कराना

*738. डॉ॰ सी॰एन॰गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "पाइप नहीं बिछने के कारण शुद्ध पानी से वंचित है भादवा गाँव के लोग" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखंड की मोहब्बत परसा पंचायत के भदपा गाँव के वार्ड नं॰ 7 और आठ में लगभग तीन सौ से अधिक घरों में नल-जल योजना से पानी नहीं पहुँच रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त भदपा गाँव के दो वार्डों में पाइप लाइन बिछाने और पाइप की मरम्मती कर दोनों वार्डों में शुद्ध जल आपूर्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

दिशा-निर्देश देना

*739. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा

क्षेत्र अन्तर्गत नल-जल योजना का कार्य जिस संवेदक को आवंटित किया गया है, उसके कार्य की गति काफी धीमी होने के कारण आमलोगों को सरकार की इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

-------------

कार्रवाई करना

*740. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा अंचल के तत्कालीन राजस्व पदाधिकारी द्वारा 1 मार्च, 2022 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि में दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प के अनुसार तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, कटिहार से पत्रांक CLP/50/आ०का०/2023, दिनांक 16 सितम्बर, 2023 के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि निर्धारित समयावधि में दाखिल-खारिज निष्पादन नहीं करने वाले उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, जिसका उक्त पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

निर्माण कराना

*741. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत परसा बाजार अधीनस्थ वार्ड नं० 10, ग्राम-पोझी, आई०टी०आई० के कॉलेज से जयलाल राय के घर तक एवं वार्ड नं० 9 के ग्राम-खजौली में नवसृजित विद्यालय से वृद्धा आश्रम तक स्थिति जर्जर एवं गड्ढे में तब्दील हो गयी है जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों सड़कों का कबतक नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*742. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में ग्राम सहकारिता समिति के मध्यम सरकारी लक्ष्य से मात्र 35 प्रतिशत धान की खरीदारी की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पटना:
दिनांक 22 फरवरी, 2024 (ई०) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०-90 (एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी०-550